दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 13 मई 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 224

महत्वपूर्ण एवं खास

एनआईए ने बंगाल में रामनवमी हिंसा की जांच अपने हाथ में ली

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा की जांच अपने हाथ में ले ली है। एनआईए ने 30 मार्च को हावड़ा और हुगली जिलों में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत छह नई प्राथमिकी दर्ज की हैं। जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की घटनाओं ने पश्चिम बंगाल में अशांति पैदा कर दी थी।

इमरान खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस्लामाबाद में दर्ज सभी केसों में मिली जमानत

इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले समेत सभी मामलों में जमानत दे दी है। कोर्ट ने 17 मई तक इमरान खान की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। कार्यवाही के दौरान इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी के बाद देश भर में अशांति फैलने की चेतावनी दी थी। जियो न्यूज के मुताबिक, सुनवाई के पहले सत्र में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय विशेष खंडपीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में नारे लगाए जाने के तुरंत बाद खान की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए कोर्ट रूम छोड़ दिया। पाक सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिए जाने के एक दिन बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की जमानत याचिका पर विचार किया। जब खान से सवाल किया गया कि या उन्हें गिरफ्तार होने की उम्मीद थी? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं 100 प्रतिशत निश्चित था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

यूपी में चोरी के शक में रेस्टोरेंट मालिक ने युवक को लगाई आग

लखनऊ (आरएनएस)। एक चौंकाने वाली घटना में, रेस्तरां मालिक ने चोरी का संदेह होने पर पहले एक युवक की पिटाई की और फिर उसे आग लगा दी। पीड़ित की पहचान इलाके के नीलमठ के सुनील राजपूत के रूप में हुई। वह गंभीर रूप से झुलस गया है और उसे हजरतगंज के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार का आरोप है कि रेस्टोरेंट से पैसे चोरी होने के शक में उसे प्रताड़ित किया गया। उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बहराइच के रेस्टोरेंट मालिक बादशाह खान अपने सहयोगियों के साथ उसके घर पहुंचे और सुनील को उठा लिया। पुलिस ने बताया कि,बादशाह और उसके आदमी उसे उठाकर अपने रेस्टोरेंट में ले गए, जहां खान ने सुनील पर पैसे चुराने का आरोप लगाया और उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उसे अपना अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया। पीड़िता की बहन प्रीति ने कहा, बदमाश ने उसके शरीर के निचले हिस्से में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। चिल्लाने पर आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए और सुनील को बचाया, जो तब तक गंभीर रूप से जल चुका था।

सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित, 87.33प्रतिशत हुए पास; त्रिवेंद्रम 99.91 प्रतिशत के साथ टॉप पर

नई दिल्ली (आरएनएस)। सीबीएसई कक्षा 12 का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस बार कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.33प्रतिशत है। बोर्ड ने अभी तक तो सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया है, हालांकि जानकारी के मुताबिक 10वीं का रिजल्ट भी आज ही जारी किया जाएगा।

बता दें कि त्रिवेंद्रम रीजन 99.91 पास प्रतिशत के साथ टॉप पर है। लड़कियां 90.68 पास प्रतिशत के साथ लडक़ों से 6.01प्रतिशत आगे हैं। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए सीबीएसई अपने छात्रों को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजन नहीं देगा।

रीजन वाइज ऐसा रहा रिजल्ट

त्रिवेंद्रम- 99.91 फीसदी
बंगलुरू - 98.64 फीसदी
चेन्नई - 97.40 फीसदी
दिल्ली वेस्ट - 93.24 फीसदी

चंडीगढ़ - 91.84 फीसदी
दिल्ली ईस्ट - 91.50 फीसदी
अजमेर - 89.27 फीसदी
पुणे - 87.28 फीसदी
पंचकुला - 86.93 फीसदी
पटना - 85.47 फीसदी
भुवनेश्वर - 83.73 फीसदी
गुवाहाटी- 83.73 फीसदी
भोपाल - 83.54 फीसदी
नोएडा - 80.36 फीसदी
देहरादून - 80.26 फीसदी
प्रयागराज - 78.05 फीसदी

गौर हो कि 11 मई को रिजल्ट जारी होने की सूचना वायरल हो रही थी, जिस पर बोर्ड के अधिकारियों ने कहा था कि अभी रिजल्ट की डेट नहीं घोषित की गई है। सीबीएसई 12वीं के नतीजे आज, 12 मई को घोषित कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रोल नंबर दर्ज कर नतीजे चेक कर सकते हैं।

10वीं बोर्ड रिजल्ट में 1.28 फीसदी गिरावट, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल, केवल 80.38 प्रतिशत छात्र हुए पास

इस वर्ष 2023 में सीबीएसई दसवीं बोर्ड का रिजल्ट बीते वर्ष के मुकाबले कम रहा है। स्वयं सीबीएसई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते वर्ष जहां 94.40 प्रतिशत छात्र पास हुए थे, वहीं इस वर्ष 93.12 प्रतिशत छात्र पास हो सके हैं। यानी कि बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 10वीं के नतीजों में 1.28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे बुरा हाल सरकारी स्कूलों का रहा। यहां केवल 80.38 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष 12वीं बोर्ड के औसत रिजल्ट में भी 5 फीसदी से भी अधिक की गिरावट आई है। सीबीएसई 10वीं कक्षा के ओवरऑल रिजल्ट में जहां 1 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है तो इसका असर बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लडक़ों और लड़कियों के रिजल्ट पर भी दिखाई दिया है। सीबीएसई के मुताबिक बीते वर्ष 95.21 परसेंट लड़कियां दसवीं बोर्ड परीक्षा में पास हुई थीं। इस वर्ष 94.25 प्रतिशत लड़कियां 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास कर सकी हैं। इसी तरह बीते वर्ष 93.80 प्रतिशत लडक़े 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पास हुए थे और इस वर्ष 92.27 प्रतिशत लडक़े ही 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास कर सके हैं। सीबीएसई के मुताबिक देश भर में सबसे बेहतर रिजल्ट देने में जहां जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय अव्वल हैं, वहीं सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल सबसे पीछे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में सीबीएसई दसवीं कक्षा का पास प्रतिशत 99.14 रहा है। ऐसे ही केंद्रीय विद्यालयों में 98 फीसदी बच्चे पास हुए हैं। तीसरा नंबर प्राइवेट व इंडिपेंडेंट स्कूलों का है यहां 95.27 फीसदी छात्र दसवीं बोर्ड परीक्षा में पास हुए हैं। चौथे नंबर पर सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है जहां 93.86 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। चौथे पर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल व अंतिम पायदान पर सरकारी स्कूल हैं। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में केवल 81.57 छात्र पास हो सके और सरकारी स्कूलों में सबसे कम 80.38 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं।

पश्चिम बंगाल में केरला स्टोरी बैन क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर बैन के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से कई सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि फिल्म देश के बाकी हिस्सों में शांतिपूर्वक चल रही है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे राज्य में प्रतिबंधित किया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और पी.एस. नरसिम्हा ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी से कहा, फिल्म देश के बाकी हिस्सों में रिलीज हुई है, पश्चिम बंगाल देश से अलग नहीं है..।

फिल्म निर्माताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा फिल्म राज्य में तीन दिनों तक

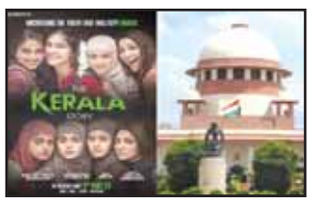

सिनेमाघरों में चली।

चीफ जस्टिस ने कहा, अगर फिल्म देश के अन्य हिस्सों में चल सकती है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं?.. अगर जनता इसे देखना नहीं चाहती है, तो नहीं देखेगी। पीठ ने कहा, इसका फिल्म के आर्टिस्टिक वैल्यू से कोई लेना-देना नहीं है, फिल्म अच्छी हो सकती है, या यह खराब हो सकती है, या अप्रासंगिक हो सकती है ..। दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया।

फिल्म निर्माताओं ने दलील दी कि राज्य सरकार के पास ऐसी किसी फिल्म को बैन करने का कोई अधिकार नहीं है जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रमाणित किया हो। फिल्म निर्माताओं ने दावा किया कि राज्य सरकार फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए कानून व्यवस्था का हवाला नहीं दे सकती। उनका तर्क था कि इससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 मई को 'द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी को इस मामले में आवश्यक कदम उठाने को कहा था।

टैंक की सफाई के दौरान एक ही परिवार के पांच मजदूरों की मौत, सीएम ने की परिजनों को 10-10 लाख देने की घोषणा

परभणी (आरएनएस)। महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के परभणी जिले के सोनपेठ तालुका के भौचा टांडा शिवरा में सुरक्षा टैंक की सफाई के दौरान एक ही परिवार के पांच मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक भौचा टांडा शिवारा स्थित मारुति दगडू राठौड़ के अखाड़े में गुरुवार को दोपहर सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान यह घटना घटी। मृतकों की पहचान शेख सादिक (45), शेख शाहरुख (20), शेख जुनैद (29), शेख नवीद (25), शेख फिरोज (19) के रूप में हुई, जबकि शेख साबिर (18) घायल हो गए, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, परली में है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री

एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को परभणी जिले में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक के वारिसों को राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की योजना के माध्यम से 10-10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

शिंदे ने इस दुर्घटना में घायल हुए श्रमिक को सरकार के खर्चे से सभी आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। घायल मजदूर को गंभीर हालत में अंबाजोगाई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया डब्ल्यूएफआई चीफ बृजभूषण शरण सिंह का बयान, जांच के लिए एसआईटी गठित

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली पुलिस ने एक अदालत को सूचित किया कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की राउज एवेन्यू अदालत में लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मामले में एक सीलबंद कवर के तहत एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है और इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मामले में यौन अपराध शामिल हैं।

एसआईटी टीम में एक महिला पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सहित

10 अधिकारी हैं। अधिकारी ने कहा, महिला पहलवानों द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर विभिन्न राज्यों से जानकारी एकत्र करने के लिए टीम का गठन किया गया है। अदालत को यह भी बताया गया कि पीड़िता में से एक का बयान संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिन में दर्ज किया जाएगा।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 मई को मुकर्रर की है। कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगट जैसी प्रमुख भारतीय पहलवान 23 अप्रैल से (डब्ल्यूएफआई) प्रमुख के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसानों ने भी पहलवानों को अपना समर्थन दिया है और सोमवार को विरोध में शामिल होने के लिए हरियाणा और पंजाब से पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने जांच की निगरानी और अदालत के समक्ष कथित पीड़ितों के बयान दर्ज करने की मांग करने वाली पहलवानों की याचिका का विरोध करने पर पुलिस को नोटिस जारी किया था।

मंगलवार को दिल्ली महिला आयोग ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली) प्रणव तायल को भी समन जारी किया।

महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में 28 अप्रैल को दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी – एक यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत एक नाबालिग लडक़ी का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने और दूसरी शिकायतकर्ताओं का यौन उत्पीड़न करने के खिलाफ।

केजीएमयू कैंपस में कुत्तों ने दो डॉक्टरों समेत पांच पर किया हमला

लखनऊ (आरएनएस)। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) परिसर के अंदर एक आवारा कुत्ते के हमले में दो रेजिडेंट डॉक्टर और तीन अन्य घायल हो गए। एक साल में उत्तर प्रदेश की राजधानी में कुत्तों के हमले का यह 16वां बड़ा मामला है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने लखनऊ नगर निगम को सूचित किया, जिसने परिसर में एक टीम भेजी और पाया कि कुत्ते की मृत्यु हो गई थी। हालांकि मौत का कारण अज्ञात है, अधिकारियों ने कहा कि कुत्ता रेबीज से पीड़ित था।

केजीएमयू के अधिकारियों ने कहा कि परिसर में रेडियोलॉजी विभाग के बाहर लोगों पर कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और दो रेजिडेंट डॉक्टरों, दो पैरामेडिकल स्टाफ और एक मरीज के परिचारक को काट लिया।

चिकित्सकर्मी सुषमा यादव और संजय गुप्ता को अन्य कर्मचारियों ने बचाया।

सुषमा यादव ने संवाददाताओं से कहा, मैं रेडियो डायग्नोस्टिक विभाग से बाहर आ रही थी, तभी एक आवारा कुत्ता आया और मेरे दाहिने पैर पर काट लिया। मैं चिल्लाई, लेकिन इसने फिर से मेरे दाहिने हाथ पर हमला कर दिया।

उरके दाहिने पैर में दो इंच लंबा खुला घाव था, जबकि संजय गुप्ता के बाएं पैर में एक इंच का घाव था।

केजीएमयू के प्रवक्ता सुधीर सिंह ने कहा, 'घटना के बाद मैंने एलएमसी को कुत्ते को पकडऩे के लिए कहा, लेकिन टीम के आने से पहले ही वह मरा हुआ मिला।'

एलएमसी के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने कहा, कुत्ता रेबीज से पीड़ित था। यह बीमारी कुत्तों को आक्रामक बना देती है और वे संक्रमित होने के एक सप्ताह के भीतर मर जाते हैं।

ब्रिटेन में सिख किशोर की चाकू गोदकर हत्या करने के मामले में दो को उम्रकैद

लंदन। 2021 में 16 वर्षीय सिख लडक़े की हत्या करने के आरोप में दो किशोरों को जेल की सजा सुनाई गई है, जिसे उन्होंने गलती से पश्चिम लंदन में एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह का सदस्य समझ लिया था। पुलिस ने यह जानकारी दी। हिलिंगडन के 18 वर्षीय वनुशन बालकृष्णन और इलियास सुलेमान को ओल्ड बेली में ऋषिमीत सिंह की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में सजा सुनाई गई।

पुलिस ने कहा कि बालाकृष्णन को कम से कम 24 साल की सजा काटने के लिए और सुलेमान को कम से कम 21 साल की सजा काटने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

ऋषिमीत की मां गुलिंदर ने एक बयान में कहा, आखिरकार रिश्मीत को न्याय मिला है, लेकिन उनकी सजा मेरे लिए कभी भी काफी नहीं होगी। उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी मुझसे छीन ली है और रिश्मीत फिर कभी घर नहीं आएगा।

अफगानिस्तान से शरण लेने के लिए अपनी मां और दादी के साथ अक्टूबर 2019 में ब्रिटेन आए ऋषिमीत को 15 बार चाकू मारा गया था।

ऋषिमीत के पिता को तालिबान ने मार डाला था, और कुछ ही समय बाद उन्होंने युवा लडक़े का अपहरण करने की कोशिश की और परिवार को यूके भागने के लिए मजबूर किया।

मेट्स स्पेशलिस्ट क्राइम कमांड से डिटेक्टिव इंस्पेक्टर लॉरा सेम्पल ने कहा, ऋषिमीत एक मासूम, 16 साल का युवा था, जिसके आगे उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। उसने अपने दोस्तों के साथ एक सुखद शाम बिताई थी और घर की छोटी पैदल यात्रा कर रहा था, जब बालकृष्णन व सुलेमान ने उसका पीछा किया और चाकू मारकर हत्या कर दी।

सेम्पल ने कहा, किसी की निर्ममता से हत्या करने का कोई बहाना नहीं होता है, लेकिन यह मामला इस तथ्य से और भी दुखद हो जाता है कि ऋषिमीत को उसके हमलावरों ने गलत तरीके से निशाना बनाया था।

24 नवंबर, 2021 की रात, ऋषिमीत साउथहॉल में एक सुखद शाम का आनंद लेने के बाद अपने दोस्तों को छोडक़र घर जा रहा था, जब उसने दो अज्ञात युवकों को अपनी ओर भागते देखा।

वह तुरंत साउथहॉल में रैले रोड पर भागा, जहां वह लडख़ड़ाया और गिर गया। उसका पीछा करने वालों में से एक ने उसकी पीठ में कम से कम पांच बार वार किया।

उसके बाद दूसरे युवक ने भी उसे चाकू मारना शुरू कर दिया। इसके बाद हमलावर उसे छोडक़र चले गए।

सूचना मिलने पर अधिकारी और लंदन एम्बुलेंस सेवा के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ऋषिमीत की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

पूछताछ से पता चला कि बालाकृष्णन और सुलेमान ने अपनी बाइक पुल के पास छोड़ दी और पैदल ही ऋषिमीत का पीछा किया। बालकृष्णन ने पहले उस पर हमला किया और उसके बाद सुलेमान ने।

18 साल में वोट देना है तो जॉइन करनी होगी आर्मी! राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामास्वामी का बड़ा एलान

वाशिंगटन

अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब रामास्वामी ने एलान किया है कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो वोट देने के नागरिक कर्तव्य कानून में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के तहत वोट देने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल की जाएगी। साथ ही अगर कोई 18 साल की उम्र में वोट देना चाहेगा तो उसे छह महीने तक सेना में सेवाएं देना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। रामास्वामी ने एलान किया कि वह मतदान करने के नागरिक कर्तव्य कानून में संशोधन का समर्थन करते हैं। इस संशोधन के तहत अमेरिका में वोट देने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाएगी। हालांकि 18 साल की उम्र के युवा भी वोट दे सकेंगे लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लगाई जाएंगी।

संशोधन के तहत 18 साल की उम्र में वोट देने के लिए अमेरिकी नागरिकों को न्यूनतम छह माह के लिए अमेरिकी सेना में अपनी सेवाएं देनी होंगी। या फिर फर्स्ट रेस्पॉन्स सर्विस (पुलिस, फायर आदि) में छह माह के लिए सेवाएं देनी होंगी। अगर कोई व्यक्ति इन शर्तों को पूरा नहीं करना चाहता है तो उसे एक नागरिक शिक्षा परीक्षा देनी होगी, यह परीक्षा अमेरिकी नागरिकता के लिए होने वाली परीक्षा जैसी होगी। अगर कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है तो उसे फिर मतदान करने के लिए 25 साल का इंतजार करना होगा।

अमेरिका में कानून में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई समर्थन होना जरूरी है। साथ ही राज्य विधानसभाओं में तीन चौथाई समर्थन होना जरूरी है। इस संशोधन के पक्ष में विवेक रामास्वामी का तर्क है कि हमारी सेनाओं में इस वक्त 25 प्रतिशत पद खाली हैं। वहीं युवा पीढ़ी के सिर्फ 16 प्रतिशत लोगों को अपने अमेरिकी होने पर गर्व है। रामास्वामी ने कहा कि हमारी भावी पीढ़ी में राष्ट्रीय गौरव का भाव नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है।

रामास्वामी के अनुसार, मतदान के नागरिक कर्तव्य से युवाओं में एक जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होगा और वह ज्यादा शिक्षित नागरिक बन सकेंगे। बता दें कि साल 1971 में संविधान के 26वें संशोधन के तहत अमेरिका में वोटिंग की उम्र घटाकर 18 साल कर दी गई थी, जिसे अब फिर से बढ़ाकर 25 साल करने की मांग उठ रही है।